तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **विशम्भर सिंह बनाम राजस्थान सरकार** **निगरानी संख्या 34/21 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 (2021/37)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.23 17.x.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	पत्रावली पेश हुई। वकील निगरानीकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 को इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी पेश की गई है, जो कि सहवन से अंकित हो गई है। जिला कलक्टर के आदेश को चैलेन्ज करने के लिए जो ग्राउन्ड निगरानी में लिए गए हैं। वे ही ग्राउन्ड अपील के हैं। इसलिए अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अंकित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए न्यायहित में उपरोक्त रिवीजन को अपील मानते हुए जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध सुनवाई किए जाने हेतु प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर को भिजवाया जाने का आदेश दिए जावें। वकील निगरानीकार ने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में निगरानी दर्ज किए जाने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश का गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानीकार की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत निगरानी को अपील मानी जाकर उक्त पत्रावली अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की जावे। गैर निगरानीकार के अभिभाषक ने बहस करते हुए तर्क दिया कि निगरानीकार की ओर से अदालत हाजा में उक्त निगरानी वर्ष 2021 में पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत दिनांक 26.03.2021 को पेश की गई थी। जिसको अदालत हाजा की ओर से दिनांक 30.03.2021 दर्ज रजिस्टर कर निगरानीधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली व रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन कर निगरानीधीन आदेश दिनांक 19.03.2020 की क्रियान्वति आगामी पेशी दिनांक 26.04.2021 तक स्थगित रखते हुए मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त प्रकरण में निगरानीधीन आदेश संबंधी पत्रावली अदालत हाजा में दिनांक 12.07.2022 को प्राप्त हो गई है तथा गैर निगरानीकार की ओर से भी पैरवी की जा रही है। मौके पर जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 19.03.2020 की पालना में 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस स्टेज पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अदालत हाजा में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश के विरूद्ध गलत निगरानी प्रस्तुत की गई है। यदि निगरानीकार जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई निगरानी को इस स्टेज पर स्थानान्तरित किए जाने का आदेश किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी मैन्टनेबल नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **विशम्भर सिंह बनाम राजस्थान सरकार** **निगरानी संख्या 34/21 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 (2021/37)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.23	निगरानीकार व गैर निगरानीकार के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी अदालत हाजा में दिनांक 26.03.2021 को पेश की गई है। उक्त निगरानी में जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 को ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव लिए बिना जारी किए जाने के कारण क्षेत्राधिकारिता के बाहर होने, आवंटित भूमि ग्राम पंचायत सदस्यों की पहुंच के लिए उपयुक्त नहीं होने, ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार ग्राम घड़ी खिराना के खसरा नंबर 218 सड़क के सहारे स्थित होने, ग्राम पंचायत भवन के लिए उपयुक्त जगह का चयन ग्राम सभा की ओर से किए जाने व जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के पूर्व प्रार्थीगण व ग्रामसभा को सूचित नहीं किए जाने के कारण निरस्तनीय होने के आधार पर उक्त आदेश को निरस्त किए जाने तथा ग्राम पंचायत घड़ी खिराना पंचायत समिति बाड़ी का पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केन्द्र खसरा नंबर 218 वाके ग्राम घड़ी खिराना में बनाए जाने का आदेश दिए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अतः वकील निगरानीकार का यह कथन कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 19.03.2020 को चैलेन्ज करने के लिए जो ग्राउन्ड रिवीजन में लिए गए हैं, वे ग्राउण्ड ही अपील के हैं। इसलिए अदालत हाजा में प्रस्तुत निगरानी को अपील मानकर क्षेत्राधिकार के आधार पर सुनवाई हेतु अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रकरण भिजवाया जाए उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत पारित नहीं किया जाकर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी, कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम पंचायत घड़ी खिराना को निःशुल्क आवंटन किया गया है। इसी आदेश में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 24.07.2017 जिसके द्वारा घड़ी खिराना तहसील बाड़ी की आराजी खसरा नंबर 848 रकबा 4.10 बीघा किस्म सिवायचक गैर मुमकिन खड्डा के आवंटन को निरस्त किया गया है। इसलिए जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत की गई निगरानी अदालत हाजा में मैन्टनेबल नहीं है। जहां तक प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को अपील मानकर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किए जाने का प्रश्न है तो इस स्तर पर यह कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अदालत हाजा में अब तक उक्त प्रकरण में जो कार्यवाही हुई है, वह कार्यवाही प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी संबंधी प्रार्थना पत्र में ही की गई है। वकील निगरानीकार की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध कौन से अधिनियम की किस धारा के तहत अपील ट्रीट की जानी है। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध अदालत 17.10.23 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज विशम्भर सिंह बनाम राजस्थान सरकार निगरानी संख्या 34/21 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 (2021/37)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.23	हाजा में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अदालत हाजा में निगरानी पेश की गई है तथा जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत अदालत हाजा में निगरानी मैन्टनेबल नहीं है तथा प्रार्थी गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश के विरूद्ध अपील कौन से अधिनियम की कौन सी धारा के विरूद्ध ट्रीट की जानी है। इसलिए निगरानीधीन आदेश दिनांक 19.03.2020 के गुणावगुण पर विचार किए बिना प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। जिला कलक्टर धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध निगरानीकार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सॉंवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	